राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

तृतीय तल, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर – 19
नवा रायपुर अटल नगर, (छत्तीसगढ़) पिन–492002
दूरभाष–0771–2511285, ई–मेल office.mdnrhm@gmail.com

क्र / एनएचएम / एच आर / GENS/873/2026 /2255 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/09/2026

:: आदेश ::

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी – एनएचएम (संविदा) के पद पर निम्नांकित अभ्यर्थी की पदस्थापना उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित स्थल में नीचे अंकित शर्तों के अधीन की जाती है –

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	वर्ग	चयनित प्रवर्ग	कार्यक्रम	पदस्थापना स्थल	डिफरेन्सियल सैलरी पैकेज/एकमुश्त वेतनमान
1	डॉ. सौमित बसाक	श्री संजय बसाक	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम.	सामु. स्वा. केन्द्र (एफ.आर.यू)- दरभा, जिला- बस्तर (छ.ग.)	84,350/-
2	डॉ. कामता प्रसाद चन्द्राकर	श्री गोरेलाल चन्द्राकर	अ.पि.व.	अ.पि.व.	एन.एच.एम.	सामु. स्वा. केन्द्र (एफ.आर.यू.) - साजा, जिला- बेमेतरा (छ.ग.)	58,100/-
3	डॉ. मोरजध्वज	श्री भोले राम	अ.पि.व.	अ.पि.व.	एन.एच.एम.	सामु. स्वा. केन्द्र (एफ.आर.यू.)- मस्तुरी, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)	58,100/-
4	डॉ. श्रेया देवांगन	स्व. श्री राजेश देवांगन	अ.पि.व.	अ.पि.व.	एन.एच.एम.	सामु. स्वास्थ्य केन्द - कटेकल्याण (एफ.आर.यू.), जिला- दंतेवाड़ा (छ.ग.)	1,01,850/-
5	डॉ. श्रेया द्विवेदी	श्री आई एन द्विवेदी	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम.	सामु. स्वास्थ्य केन्द - गीदम (एफ.आर.यू.), जिला- दंतेवाड़ा (छ.ग.)	84,350/-
6	डॉ. वैभव सिन्हा	श्री रेखलाल सिन्हा	अ.पि.व.	अनारक्षित	एन.एच.एम.	सिविल अस्पताल (एफ.आर.यू.)- नगरी, जिला- धमतरी (छ.ग.)	70,350/-
7	डॉ. हिमांशु बंजारी	श्री लेखराज बंजारी	अ.जा.	अ.जा.	एन.एच.एम.	जिला अस्पताल-एम.सी.एच. (एफ.आर.यू.), जिला- दुर्ग (छ.ग.)	58,100/-
8	डॉ. ऋचा सिंह	श्री रवीन्द्र सिंह	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम.	सामु. स्वा. केन्द्र (एफ.आर.यू.) - धमधा, जिला- दुर्ग (छ.ग.)	58,100/-
9	डॉ. पूनम शादीजा	श्री खेमराज शादीजा	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम.	सिविल अस्पताल (एफ.आर.यू.) - सुपेला, जिला- दुर्ग (छ.ग.)	58,100/-
10	डॉ. श्वेता	श्री जोहित राम	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम	सामु. स्वा. केन्द्र (एफ.आर.यू.) - उतई, जिला- दुर्ग (छ.ग.)	58,100/-
11	डॉ. शिवानी सिंह	श्री एन एस भदौरिया	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम.	सामु. स्वा. केन्द्र (एफ.आर.यू.) - पाटन, जिला- दुर्ग (छ.ग.)	58,100/-
12	डॉ. अंजली खोटले	श्री खोटले	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम.	सामु. स्वा. केन्द्र (एफ.आर.यू.) - कुम्हारी, जिला- दुर्ग (छ.ग.)	58,100/-
13	डॉ. राजेंद्र कुमार साहू	श्री राम प्रसाद साहू	अ.पि.व.	अनारक्षित	एन.एच.एम.	सामु. स्वा. केन्द्र (एफ.आर.यू.) अहिवारा, जिला- दुर्ग (छ.ग.)	58,100/-

क्रमशः..................02

सं. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	वर्ग	चयनित प्रवर्ग	कार्यक्रम	पदस्थापना स्थल	डिफरेन्सियल सैलरी पैकेज/एकमुश्त वेतनमान
14	डॉ. रोशन कुमार	श्री द्रोण कुमार	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.	एन.एच.एम.	जिला अस्पताल (एफ.आर.यू.), जिला- गरियाबंद (छ.ग.)	70,350/-
15	डॉ. नारायण सिंगसार्वा	श्री राम अवतार सिंगसार्वा	अ.पि.व.	अ.पि.व.	एन.एच.एम.	सामु. स्वा. केन्द्र (एफ.आर.यू.)- शिवरीनारायण, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	58,100/-
16	डॉ. सौम्या सिंह	श्री दिलीप सिंह	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम.	जिला अस्पताल (एफ.आर.यू.), जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	58,100/-
17	डॉ. शुभदीप हलदर	श्री मानसेंद्र हलदर	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम.	जिला अस्पताल (एफ.आर.यू), जिला- कबीरधाम (छ.ग.)	63,350/-
18	डॉ. आयुषी तिवारी	श्री नरेन्द्र प्रसाद तिवारी	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम.	सामु. स्वास्थ्य केन्द (एफ.आर.यू) - छुईखदान, जिला- खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.)	58,100/-
19	डॉ श्रद्धा नेताम	श्री सियाराम	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.	एन.एच.एम.	जिला अस्पताल (एफ.आर.यू), जिला- कोण्डागांव (छ.ग.)	77,350/-
20	डॉ. डी. आर. जयंती लाल दरियो	स्वर्गीय श्री छबीलाल दरियो	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.	एन.एच.एम.	जिला अस्पताल (एफ.आर.यू), जिला- कोण्डागांव (छ.ग.)	77,350/-
21	डॉ. महक मिश्रा	श्री विजय मिश्रा	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम.	सामु. स्वा. केन्द्र (एफ.आर.यू.) - केशकाल, जिला- कोण्डागांव (छ.ग.)	77,350/-
22	डॉ. दिशा देवांगन	श्री हरनारायण देवांगन	अ.पि.व.	अनारक्षित	एन.एच.एम.	सामु. स्वा. केन्द्र (एफ.आर.यू.)- कटघोरा, जिला- कोरबा (छ.ग.)	63,350/-
23	डॉ.सौरभ गुप्ता	श्री लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (एफ.आर.यू.) - पताडी, जिला- कोरबा (छ.ग.)	63,350/-
24	डॉ. गौरव पाठक	श्री लालबाबू पाठक	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम.	सामु. स्वास्थ्य केन्द्र (एफ.आर.यू.) - करतला, जिला - कोरबा (छ.ग.)	70,350/-
25	डॉ. समीक्षा प्रधान	श्री मनोज प्रधान	अ.पि.व.	अनारक्षित	एन.एच.एम.	सामु. स्वास्थ्य केन्द्र (एफ.आर.यू.) - बागबहारा, जिला- महासमुंद (छ.ग.)	58,100/-
26	डॉ. कमलेश प्रधान	श्री भीष्म देव प्रधान	अ.पि.व.	अ.पि.व.	एन.एच.एम.	सामु. स्वास्थ्य केन्द्र (एफ.आर.यू.) - पिथौरा, जिला- महासमुंद (छ.ग.)	58,100/-
27	डॉ. अंजली	श्री शैलेश गुप्ता	अ.पि.व.	अनारक्षित	एन.एच.एम.	जिला अस्पताल (एफ.आर.यू.), जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)	63,350/-
28	डॉ. आयुष कुमार द्विवेदी	श्री धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम.	सिविल अस्पताल (एफ.आर.यू.) - मनेन्द्रगढ़, जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)	63,350/-

क्रमशः.....................03

सं. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	वर्ग	चयनित प्रवर्ग	कार्यक्रम	पदस्थापना स्थल	डिफरेन्सियल सैलरी पैकेज/एकमुश्त वेतनमान
29	डॉ. शिव शंकर साहू	श्री प्रह्लाद साहू	अ.पि.वर्ग	अ.पि.वर्ग	एन.एच.एम.	सिविल अस्पताल (एफ.आर.यू.) - जनकपुर, जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)	77,350/-
30	डॉ. मनीष कुमार	श्री तिलक राम	अ.पि.व.	अ.पि.व.	एन.एच.एम.	जिला अस्पताल (एफ.आर.यू.), जिला- मोहला-मानपुर-अ.चौकी (छ.ग.)	77,350/-
31	डॉ. उमेश कुमार साहू	श्री बेनलाल साहू	अ.पि.व.	अनारक्षित	एन.एच.एम.	सामु. स्वास्थ्य केन्द्र (एफ.आर.यू.)- मानपुर, जिला- मोहला-मानपुर-अ.चौकी (छ.ग.)	77,350/-
32	डॉ. गीता देवी राजपूत	श्री परसराम राजपूत	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम.	जिला अस्पताल (एफ.आर.यू.), जिला- मुंगेली (छ.ग.)	58,100/-
33	डॉ. प्रज्ज्वल पाण्डेय	श्री अनूप पाण्डेय	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम.	एम.सी.एच. (एफ.आर.यू.) - लोरमी, जिला- मुंगेली (छ.ग.)	63,350/-
34	डॉ. सुनील कुमार पटेल	श्री जगदीश प्रसाद पटेल	अ.पि.व.	अनारक्षित	एन.एच.एम.	जिला अस्पताल- एम.सी.एच. (एफ.आर.यू.), जिला- रायगढ़ (छ.ग.)	58,100/-
35	डॉ. सुनिति	श्री जोहन लाल	अ.पि.व.	अनारक्षित	एन.एच.एम.	एम.सी.एच. (एफ.आर.यू.)- कालीबाड़ी, जिला- रायपुर (छ.ग.)	58,100/-
36	डॉ. शिंजनी अम्बस्थ	श्री संजय कुमार अम्बस्थ	सामान्य	अ.पि.व.	एन.एच.एम.	सामु. स्वास्थ्य केन्द्र (एफ.आर.यू.) - तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)	58,100/-
37	डॉ. अंकित कुमार मन्ना	श्री प्रदीप कुमार मन्ना	सामान्य	अनारक्षित	एन.यु.एच.एम.	शहरी सामु. स्वास्थ्य केन्द्र (एफ.आर.यू.) - गुढ़ियारी, जिला- रायपुर (छ.ग.)	58,100/-
28	डॉ. नीता पटेल	श्री राम प्रसाद पटेल	अ.पि.व.	अनारक्षित	एन.एच.एम.	सामु. स्वास्थ्य केन्द्र (एफ.आर.यू.) - धरसींवा, जिला - रायपुर (छ.ग.)	58,100/-
29	डॉ. आयुषी शुक्ला	श्री मनीष कुमार शुक्ला	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम.	सामु. स्वा. केन्द्र (एफ.आर.यू.)- आरंग, जिला- रायपुर (छ.ग.)	58,100/-
40	डॉ. शिखा शुक्ला	श्री राकेश शुक्ला	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम.	सामु. स्वास्थ्य केन्द्र- राखी, सेक्टर 27, जिला- रायपुर (छ.ग.)	58,100/-
41	डॉ. पूर्वा नायक	श्री डोगेन्द्र नायक	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम.	एम.सी.एच. (एफ.आर.यू.)- कालीबाड़ी, जिला- रायपुर (छ.ग.)	58,100/-
42	डॉ. अंजली साहू	श्री एस.एन. साहू	अ.पि.व.	अनारक्षित	एन.एच.एम.	सामु. स्वास्थ्य केन्द्र (एफ.आर.यू.) - बिरगांव, जिला - रायपुर (छ.ग.)	58,100/-
43	डॉ. नौशीन सिद्दीकी	श्री एनामुल हक सिद्दीकी	सामान्य	अनारक्षित	एन.यु.एच.एम.	शहरी सामु. स्वास्थ्य केन्द्र (एफ.आर.यू.) - गुढ़ियारी, जिला - रायपुर (छ.ग.)	58,100/-
44	डॉ. तडकल स्वप्रिल	श्री टी. नागेश	अ.पि.व.	अ.पि.व.	एन.एच.एम.	सामु. स्वा. केन्द्र (एफ.आर.यू.)- कोंटा, जिला- सुकमा (छ.ग.)	1,01,850/-

क्रमशः........... 04

सं. क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	वर्ग	चयनित प्रवर्ग	कार्यक्रम	पदस्थापना स्थल	डिफरेन्सियल सैलरी पैकेज/एकमुश्त वेतनमान
45	डॉ. विकास कुमार सिंह	श्री रामा शंकर सिंह	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम.	सामु. स्वास्थ्य केन्द्र (एफ.आर.यू.)- भैयाथान, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)	84,350/-

:: नियुक्ति शर्त ::

1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वीकृत संविदा पदों की भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ0ग0 के मानव ससाधन नीति 2018 के अंतर्गत होगी।

2 छत्तीसगढ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के कंडिका–15 की (अन्य शर्ते) लागू होगी।

3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डिफरेन्सियल सैलरी पैकेज अनुसार संविदा पद हेतु एकमुश्त वेतन की पात्रता होगी। डिफरेन्सियल सैलरी पैकेज में सभी प्रकार के अतिरिक्त प्रोत्साहन सम्मिलित है, अतः सी.आर.एम.सी. क्षेत्र में पृथक से सी.आर.एम.सी. की राशि देय नहीं होगी।

4 संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय व अन्य राशि प्रावधानित राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन अनुसार देय होगी, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नही होगा।

5 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डिफरेन्सियल सैलरी पैकेज के तहत कार्य करने वाले चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

6 संविदा नियुक्ति **31 मार्च 2027** तक अथवा इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत समय–समय जारी पर आदेश/निर्देश यथा लागू होगी, यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी। वार्षिक कार्यमूल्यांकन संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में ही संविदा सेवा अवधि मे वृद्धि की जावेगी। भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर.ओ.पी. में स्वीकृति के आधार पर ही संविदा सेवा अवधि मे वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी।

7 संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनो के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश के पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के अनुपातिक आधार पर की जावेगी। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकिंत किया जावेगा। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष का तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जावेगा। संविदा नियुक्ति एक बार में 1 वर्ष के लिये ही की जा सकती है, अतः प्रसूति अवकाश की सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार 180 दिन की होगी।

8 संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज मे एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

9 नियुक्ति के पूर्व या नियुक्ति के पश्चात किसी भी प्रकार की कदाचरण करने अथवा किसी अपराधिक, वित्तीय अनियमितता संबंधी कृत्य में लिप्त होने की अवस्था में सुनवाई का अवसर दिया जाकर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा नियमानुसार सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।

10 सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नही होगी।

11 चयनित अभ्यार्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय/कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण–पत्र अनफिट होने की स्थिति में नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

11.1 प्रसूति उपरांत, प्रशासकीय नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा संविदा पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जा सकेगी।

11.2 प्रथम नियुक्ति के प्रथम छः महीने पश्चात् ही प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी।

11.3 अनुबंध के समय अभ्यार्थियों को स्वप्रमाणित निम्न दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ मूल दस्तावेज भी प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करने होगें। इसके पश्चात् ही नियुक्ति को मान्य किया जायेगा–

- हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंकसूची
- संबधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची
- संबधित पद हेतु निर्धारित वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची

क्रमशः.....................05

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर उपधि/प्रमाण–पत्र
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण–पत्र, निवासी प्रमाण–पत्र
- कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र
- विशेष छूट हेतु प्रमाण–पत्र

12 संबधित चिकित्सक को छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

13 कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी को पदस्थापना स्थल पर ही मुख्यालय बनाकर निवास करना होगा, किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय के अतिरिक्त अयन्त्र स्थानो से आने–जाने की अनुमति नही होगी तथा ऐसा पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

14 संविदा नियुक्ति चिकित्सक को अपने नियत्रंणकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी या सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के नियत्रण मे कार्य करना होगा। इन चिकित्सकों को नियत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा दिये गये समस्त दायित्वो का पालन करना होगा।

15 संविदा नियुक्ति सामान्यतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्ययोजना की स्वीकृति के अनुसार एक वर्ष के लिये होगी। विभाग आवश्यकता के आधार पर कार्य का मूल्यांकन (Performance Appraisal) कर निर्धारित मापदण्डों के उपर होने पर संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी की उपयुक्तता का आकलन कर, संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिये बढ़ाते हुये मिशन की अवधि में नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगी।

16 Performance Appraisal Report में निर्धारित मापदण्ड अनुसार अंक प्राप्त नही होने पर अंको के आधार पर नियमानुसार निर्धारित कार्यवाही की जावेगी। संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर संविदा सेवा स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी। इसके लिए कर्मचारी को पृथक से सूचना नही दी जावेगी।

17 संविदा पर नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी के वार्षिक कार्य का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष राज्य/जिला नियत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा। इसका प्रतिवेदन राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

18 संविदा नियुक्त चिकित्सको को संविदा शर्तो के तहत् संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के साथ पद्भार ग्रहण के समय एवं प्रतिवर्ष (वित्तीय वर्षानुसार) 50/– रू0 के गैर न्यायिक बंध पत्र (स्टाम्प पेपर) पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। संविदा नियुक्त आदेश जारी होने पर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को प्रथम नियुक्ति स्थल एवं पदस्थापना उपरांत किसी अन्य स्थल/पद पर कार्यादेश मात्र से कोई नवीन करार निष्पादित करना आवश्यक नहीं होगा।

19 आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थी को नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

20 समय–समय पर विभाग/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा दी जाने वाली सुविधायें लागू होगें।

21\. आपको नियुक्ति आदेश प्राप्ति उपरांत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला संबंधित में सूचना देवें, तत्पश्चात् अपने नियुक्ति स्थल –संबंधित स्थल में दिनांक 12/10/26 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा आपकी संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

22 नियुक्ति/शर्तो में शिथिलीकरण का अधिकार शासी निकाय, राज्य स्वास्थ्य समिति/मिशन संचालक को होगा।

23 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होगे।

24 कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी को HRMIS पोर्टल में सात दिवस के अंदर अपनी जानकारी प्रविष्टी एवं अद्यतन कराया जाना होगा। इसके पश्चात् ही मासिक मानदेय HRMIS पोर्टल के माध्यम से आहरण किया जावेगा।

25 उक्त नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होगी।

(आयुक्त सह मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Ajay Shankar Kannoje
Date: 29-09-2026
13:00:22

उप संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
छत्तीसगढ़

पृ.क्र./एनएचएम/एच.आर./GENS/873/2026/2255 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/09/2026

प्रतिलिपि :–

1 सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय अटल नगर, नवा रायपुर, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2 आयुक्त सह संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, अटल नगर, नवा रायपुर, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।

3 आयुक्त सह मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर, छ0ग0 को सूचनार्थ।

4 कलेक्टर सह जिला अध्यक्ष, जिला– संबधित, (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

5 अपर संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर, छ0ग0 को सूचनार्थ।

6 अपर संचालक (वित्त), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर, छ0ग0 को सूचनार्थ।

7 संबधित उप संचालक/राज्य नोडल अधिकारी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, संबधित को सूचनार्थ।

8 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–संबधित, (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

9 सिविल सर्जन सह अधीक्षक, जिला – संबधित (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

10 राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अटल नगर, नवा रायपुर, छ0ग0 को सूचनार्थ।

11 राज्य कार्यक्रम प्रबंधक– शहरी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अटल नगर, नवा रायपुर, छ0ग0 को सूचनार्थ।

12 जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला– संबंधित, (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

13 जिला प्रबंधक – प्रशिक्षण/एच.आर., जिला–संबंधित, (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं संबधितो के पदभार ग्रहण की अंतिम तिथि के उपरांत दो दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करने वाले चिकित्सा अधिकारी की जानकारी राज्य कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करे।

14 संबधितो को पालनार्थ। निर्धारित समयावधि पर उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

15 कार्यालयीन प्रति।

SD/-
उप संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
छत्तीसगढ़